

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/8/24	पत्रावली भेजा हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेश दिनांक 23/9/24 को पेश हो।
	23/9/24	पत्रावली भेजा हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेश दिनांक 4/11/24 को पेश हो।
	4/11/24	पत्रावली भेजा हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेश दिनांक 20/12/24 को पेश हो।
	20.12.24	पत्रावली भेजा हुई। अधिकारिता जारी उपस्थित। पूर्व दिनांक 29/1/25 को पेश हो।
	29.1.25	<p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p> <p>पत्रावली भेजा हुई। जारी एवं उनके अधिकारिता अनुपास्थित। जारी की आज न्यायालय में धुंधल-धुंधल सत्र पर तीन-तीन बार अवाजे लगवाती गयी। बावजूद सत्र अवाजे लगवाने के उपरांत भी जारी के न्यायालय में धुंधल नहीं जाने के कारण पत्रावली अंतर्गत भास्त्रा-9 नियम-37A-2 के तहत अदम हाजरी व अदम पेशी व खरिज की जाती है। पत्रावली फेसल सुमार हीनर नंबर से काम होकर शरितल रफ्तार हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>